

सार्वजनिक सूचना

निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा चंडीगढ़ ने अपने Memo No. LC-1936 Vol-II/JE(S)/2022/14909 Dated 30-05-2022 के माध्यम से ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी लाइसेंस नं. 12 /2009 दिनांक 21.5.2009, सैक्टर 37डी, गुरुग्राम की 13.156 एकड़ के क्षेत्रफल में से 5.4529 एकड़ क्षेत्र की भूमि के हिस्से को रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से नवराज इंफाटैक प्राइवेट लिमिटेड के लाभार्थी के परिवर्तन, ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड चेंज इन मार्केटिंग राइट्स की सैद्धातिंक स्वीकृति प्रदान की है।

जबकि उक्त सैद्धातिंक स्वीकृति के अनुसार निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा ने कंपनी को रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से नवराज इंफाटैक प्राइवेट लिमिटेड के लाभार्थी के परिवर्तन, ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड चेंज इन मार्केटिंग राइट्स में परिवर्तन के माध्यम से लाभार्थी के परिवर्तन के बारे में आम जनता को सूचित करने का निर्देश दिया है। प्रमुख समाचारपत्रों में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से तदनुसार उनकी जानकारी के लिये नोटिस जारी किया जाता है और यदि कोई आपत्ति हो तो इसे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुरुग्राम के कार्यालय में भेजा जा सकता है। दी गई उक्त अनुमति हमारी वेबसाइट..... पर भी अपलोड की जाती है।

द्वारा

दिनांक—

रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

स्थान—,

114, सैक्टर-44, गुरुग्राम